Education Research Training Development
Vasudhaiva Kutumbakam

त्रिनिकेतन समाचार

FOR PRIVATE CIRCULATION ONLY

खंड-1, संख्या 1 और 2 जनवरी-जून; 2025

प्रधान संपादक: डॉ. अनिला नायर

- शांति और मानव अधिकार -

डॉ. अनिला नायर द्वारा

यूडीएचआर का 76वाँ वर्ष

"शांति का अधिकार सभी मानवाधिकारों की जननी है। शांति के बिना अन्य सभी अधिकार समाप्त हो जाते हैं।"

वल्गर तुर्क
संयुक्त राष्ट्र उच्चायोग के अधिकारी

इस महान दिवस, 10 दिसंबर, 1948 को, मानव जाति ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की अवधारणाओं के माध्यम से शांति, प्रगति और समृद्धि से भरपूर विश्व की स्थापना का सामूहिक संकल्प लिया था। लेख में इस आशय को सही ढंग से प्रस्तुत किया गया है: *"सभी मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेते हैं और सम्मान व अधिकारों में समान होते हैं। उन्हें तर्क और विवेक से संपन्न किया गया है और उन्हें एक-दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना से व्यवहार करना चाहिए।"*

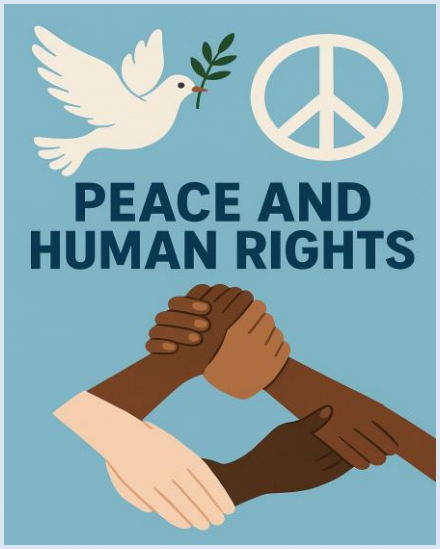

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (यूडीएचआर) अपने 30 अनुच्छेदों में शांति शब्द का प्रयोग केवल दो बार करती है। फिर भी, इसका अंतिम उद्देश्य एक ऐसी व्यवस्था और वातावरण का निर्माण करना है जो सभी मनुष्यों के लिए समावेशी तरीके से स्थान, अवसर और समर्थन जैसी तीन मूलभूत आवश्यकताओं को सुनिश्चित करे। यूडीएचआर में निहित विभिन्न अनुच्छेदों के कार्यान्वयन से शांति फल-फूल सकती है। क्योंकि शांति को इन गुणों द्वारा पोषित किया जाना चाहिए: समृद्धि, सहानुभूति, संबद्धता, करुणा, मुक्ति और समता।

मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (यूडीएचआर) की प्रस्तावना इस बात को स्पष्ट रूप से रेखांकित करती है:

"...मानव परिवार के सभी सदस्यों की अंतर्निहित गरिमा और समान एवं अविभाज्य अधिकारों की मान्यता विश्व में स्वतंत्रता, न्याय और शांति की नींव है।"

उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, विशेष रूप से शांति के लिए, यूडीएचआर के लेख, और उनमें से प्रत्येक, बहुत ही संक्षिप्त तरीके और शैली में उपकरण और दिशानिर्देश प्रदान करता है।

और ये उपकरण हैं:

- शिक्षा;
- रोज़गार;
- सामाजिक सुरक्षा;
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता;
- संघ बनाने की स्वतंत्रता;
- कानूनी अधिकार, इत्यादि।

इस धरती पर सभी के शांतिपूर्ण अस्तित्व के लिए इन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी प्रकार के भेदभावों को समाप्त किया जाए, साथ ही जीवन के हर क्षेत्र और पहलू में असमानताओं को भी दूर किया जाए, चाहे वह मानवीय, भौतिक या पर्यावरणीय हो।

जब सभी प्रकार की असमानता और भेदभाव समाप्त हो जाएंगे, तो समानता, प्रगति, समृद्धि और शांति स्वाभाविक रूप से आएगी और संचयी तथा सतत तरीके से बढ़ती रहेगी।

संपादकीय मंडल

मुख्य संपादक - डॉ. अनीला नायर

संपादकीय बोर्ड के सदस्य

- प्रो. जितेन्द्र चौधरी
- श्री कैलाश नायर
- सुश्री कार्तिका पिल्लै, कार्यकारी निदेशक

विषय सूची

शांति और मानवाधिकार	-	1
ग्रामीण क्षेत्रों से समाचार: संकट में किसान	-	2
प्रस्तावित कार्यक्रम	-	2
अन्य गतिविधियाँ	-	3
संकाय/कर्मचारी गतिविधियाँ	-	3
बैठकें	-	3
त्रिणिकेतन समाचार	-	4

मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की पचहत्तरवीं वर्षगांठ अब भेदभाव और हाशिए पर धकेले जाने के मुद्दों पर प्रकाश डाल रही है। यह ध्यान देना समयोचित है, क्योंकि आज शांति संकट के कगार पर है। मानव समाज युद्धों, संघर्षों, हिंसा, जबरन पलायन आदि से त्रस्त है। एक ओर, धन कुछ ही लोगों के हाथों में केंद्रित हो रहा है, जबकि दूसरी ओर, लाखों लोग प्रतिदिन भूखे मर रहे हैं। मानव और प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित दोहन बेरोकटोक जारी है, जिसके कारण व्यापक गरीबी, कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि, स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों का ह्रास, बढ़ती बेरोजगारी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच में कमी जैसी अन्य चुनौतियाँ सामने आ रही हैं।

ये कारक अंततः विश्व भर में असंतोष और हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं।

यूक्रेन, इजराइल, फिलिस्तीन, सूडान और दुनिया के कई अन्य हिस्सों में जारी संघर्ष इसके उदाहरण हैं।

फिलाडेल्फिया घोषणापत्र में स्थिति का बहुत सटीक वर्णन किया गया है:

- श्रम कोई वस्तु नहीं है;
- अभिव्यक्ति और संघ की स्वतंत्रता निरंतर प्रगति के लिए आवश्यक है;
- कहीं भी गरीबी हर जगह समृद्धि के लिए खतरा है।

इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि गरीबी है तो सार्वभौमिक रूप से शांति कायम नहीं हो सकती, और यदि शांति है तो गरीबी गायब हो जाएगी।

अतः प्रश्न यह उठता है कि एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, राष्ट्र को ग्रह पर शांति के लिए क्या करना चाहिए ?

- मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता और शिक्षा
- समर्थन और अभियान
- जमीनी स्तर पर मानवाधिकार और सामाजिक सुरक्षा संगठनों/नेटवर्क की स्थापना
- कानूनी जागरूकता
- शांति की ज़रूरतों और प्रासंगिकता के बारे में विचार

मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR)

"मानव परिवार के सभी सदस्यों की अंतर्निहित गरिमा और समान एवं अविभाज्य अधिकारों की मान्यता विश्व में स्वतंत्रता, न्याय और शांति की नींव है।"

- संकटग्रस्त ग्रामीण किसानों से समाचार -

जून का महीना है। मानसून आ गया है। कृषि क्षेत्र तरह-तरह की फसलों से लहलहा रहा है: धान, जूट, तरह-तरह की सब्ज़ियाँ, फल और फूल। धरती मानो हरे-भरे हरे रंग की हो, मानो शांति और समृद्धि की तस्वीर खींच रही हो। लेकिन नीरज के लिए हकीकत कुछ और ही है। उसकी आर्थिक स्थिति में ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है। वह जो पैदा करता है, उसकी कीमतें वह खुद तय नहीं करता, बल्कि बिचौलिए तय करते हैं।

उदाहरण के लिए, नीरज अपनी एक बीघा ज़मीन पर परवल की खेती करता है। कटाई के बाद, वह उसे बाज़ार ले जाता है। आज उसे उसे 5-6 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इस दर पर, वह मुश्किल से अपनी लागत निकाल पाता है। इस बीच, उसे विभिन्न कृषि सामग्री की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं।

ऐसी स्थिति में, उसका जीवन और आजीविका तभी सुरक्षित रह सकती है जब उसकी फसलों के मूल्यों को उचित रूप से नियंत्रित किया जाए। आज खुला बाज़ार ही मालिक बन बैठा है। सीमांत और छोटे किसानों को इस अनियंत्रित बाज़ार के चंगुल से बचाने के लिए, सुलभ कृषि अवसंरचना के प्रावधान के साथ-साथ एक विनियमित बाज़ार व्यवस्था और उचित मूल्य नीति स्थापित करना आवश्यक है।

- प्रस्तावित कार्यक्रम -

यह प्रस्तावित है कि फाउंडेशन नवंबर 2025 में निम्नलिखित कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित करेगा:

"व्यक्तिगत और व्यावसायिक क्षमताओं में सुधार के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ाना।"

लक्ष्य:

हम एक जटिल दुनिया में रहते हैं — एक ऐसी दुनिया जहाँ अवसर और चुनौतियाँ दोनों प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं। हालाँकि, अक्सर चुनौतियाँ ही हमें अभिभूत कर देती हैं और हमें खोया हुआ महसूस कराती हैं। परिणामस्वरूप, समान रूप से मौजूद अवसरों को अक्सर नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है। इसके अलावा, मानव तनाव का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे संकट, बीमारी और अन्य व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याएँ पैदा हो रही हैं। पारस्परिक संघर्ष, बेरोज़गारी और अन्य सामाजिक-आर्थिक मुद्दे भी हमारे जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं।

इसे ध्यान में रखते हुए, ये चिंताएँ किसी एक स्थान तक सीमित नहीं हैं - ये वैश्विक प्रकृति की हैं और सभी आयु वर्ग के लोगों को प्रभावित करती हैं, चाहे वे युवा हों या वृद्ध। इसी पृष्ठभूमि में, वर्तमान पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य चुनौतियों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करते हुए

अवसरों की पहचान करके उनका लाभ उठाकर व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में आगे बढ़ने की व्यक्तिगत क्षमता को बढ़ाना है। इस यात्रा में, भावनात्मक बुद्धिमत्ता कौशल एक महत्वपूर्ण और सहायक भूमिका निभाते हैं।

उद्देश्य:

- हमारे परिवेश में विद्यमान परिदृश्यों का अवलोकन प्रदान करना।
- प्रतिभागियों को भावनात्मक बुद्धिमत्ता की अवधारणा से परिचित कराना।
- भावनात्मक बुद्धिमत्ता बढ़ाने की रणनीति
- नेतृत्व और भावनात्मक बुद्धिमत्ता
- कार्य, उत्पादकता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता

पाठ्यक्रम सामग्री:

- भावनात्मक बुद्धिमत्ता की अवधारणा
- भावनात्मक बुद्धिमत्ता का इतिहास
- भावनात्मक बुद्धिमत्ता का केस स्टडी
- भावनात्मक बुद्धिमत्ता की भूमिका
  - कार्यस्थल
  - परिवार
  - समाज
- कार्य नैतिकता
- भावनात्मक बुद्धिमत्ता और करियर विकास
- तनाव प्रबंधन
- योग

पाठ्यक्रम वितरण पद्धति:

- व्याख्यान
- चर्चा
- केस स्टडी प्रस्तुति
- अभ्यास
- सिमुलेशन अभ्यास
- दृश्य-श्रव्य प्रस्तुति
- भूमिका-निर्वाह

प्रतिभागी:

- छात्र
- विषय में रुचि रखने वाले लोग

- अन्य गतिविधियों -

त्रिनिकेतन फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट ने अपनी आजीविका संवर्धन पहल के तहत पश्चिम बंगाल की एक महिला को सिलाई मशीन प्रदान की, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सिलाई कौशल प्रदान करना तथा स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है।

- शिक्षकगण/कर्मचारी गतिविधियाँ –

डॉ. अनीला नायर, अध्यक्ष, ने वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा में नेतृत्व कौशल और सामाजिक सुरक्षा मुद्दों पर कई सत्रों का संचालन किया। इसके अतिरिक्त, वह 10 जून 2025 को आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला "कार्य का भविष्य" में पैनलिस्ट के रूप में सम्मिलित हुईं, जहाँ उन्होंने श्रम बाजार में उभरते रुझानों, कार्यस्थल कल्याण, और समावेशी रोजगार प्रथाओं पर अपने विचार साझा किए।

सुश्री कार्तिका पिल्लै, कार्यकारी निदेशक, ने वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा में रोजगार कार्यक्रमों में ग्रामीण सहभागिता, टीमवर्क, तथा सामुदायिक विकास पहलों के लिए संसाधन जुटाव पर केंद्रित कई सत्रों का संचालन किया। उन्होंने प्रतिभागियों के साथ स्थायी आजीविका के लिए रणनीतियाँ, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, और स्थानीय स्तर पर क्षमताओं के सुदृढ़ीकरण पर भी संवाद किया।

- बैठक –

संस्थापन की अध्यक्ष ने रिपोर्टिंग अवधि के दौरान कई महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजन किया:

- भारतीय मजदूर संघ (BMS) के उपाध्यक्ष श्री के. लक्ष्मण रेड्डी के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कोयला खदान श्रमिकों के कल्याण, अधिकारों, और कार्य स्थितियों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। चर्चा का मुख्य विषय कार्यस्थल पर सुरक्षा उपायों में सुधार, न्यायसंगत वेतन, और श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों की आवश्यकता रहा।

- अध्यक्ष ने पद्मश्री सम्मानित प्रख्यात इतिहासकार डॉ. के.के. मुहम्मद से भी मुलाकात की, जिसमें आश्रय की तलाश करने वाले और हाशिये पर रहने वाले बच्चों की शिक्षा और पुनर्वास को बढ़ावा देने से संबंधित पहलों पर चर्चा की गई। बैठक में कमजोर समुदायों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए सहयोगात्मक दृष्टिकोणों पर विचार किया गया।

- एक अन्य बैठक में अध्यक्ष ने प्रोफेसर जे.एस. राजपूत, पूर्व निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद

(NCERT) से कौशल विकास और भारत में शिक्षा के बदलते स्वरूप से जुड़े विषयों पर चर्चा की। संवाद में इस बात पर जोर दिया गया कि युवाओं को उभरती सामाजिक और रोजगार संबंधी चुनौतियों के लिए तैयार करने हेतु जीवन कौशल, व्यावसायिक प्रशिक्षण, और भावनात्मक बुद्धिमत्ता को मुख्यधारा की शिक्षा में शामिल किया जाना चाहिए।

- त्रिनिकेतन समाचार -

फाउंडेशन ने आइशा खातून को वित्तीय सहयोग प्रदान किया

त्रिनिकेतन फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट ने आइशा खातून को वित्तीय सहायता प्रदान की है, जो कि चौधरी खेमचंद पब्लिक स्कूल, बदरपुर, नई दिल्ली – 110044 में कक्षा 2 की एक मेधावी छात्रा हैं। आइशा अपने परिवार के साथ बी-1121, गौतमपुरी फेज़-2, अलीगढ़, बदरपुर, नई दिल्ली में निवास करती हैं।

आइशा के पिता श्री रकीबुल एस.के. एक ई-रिक्शा चालक के रूप में अपनी आजीविका चलाते हैं, जबकि उनकी माता श्रीमती साइना खातून एक गृहिणी हैं, जो अपनी बेटी की शिक्षा के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद, परिवार ने आइशा की शिक्षा को प्राथमिकता दी है।

आइशा की शैक्षणिक यात्रा को सहयोग देने के उद्देश्य से, त्रिनिकेतन फाउंडेशन ने स्कूल फीस, यूनीफॉर्म, और अध्ययन सामग्री जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु वित्तीय सहायता स्वीकृत की। इस सहायता की पहली किस्त को फाउंडेशन की कार्यकारी निदेशक सुश्री कार्तिका पिल्लै द्वारा स्वयं आइशा की माता को सौंपा गया।

यह पहल कमजोर तबके के बच्चों को शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाने के प्रति फाउंडेशन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस समय पर मिले सहयोग के माध्यम से, फाउंडेशन यह सुनिश्चित करना चाहता है कि किसी भी बच्चे की शिक्षा सिर्फ आर्थिक कारणों से बाधित न हो।

आइशा की कहानी हमें यह स्मरण कराती है कि सामूहिक प्रयास से नन्हे सपनों को संजोया जा सकता है और एक उज्जवल एवं समावेशी भविष्य की नींव रखी जा सकती है।

सम्मेलन रिपोर्ट की तस्वीरें

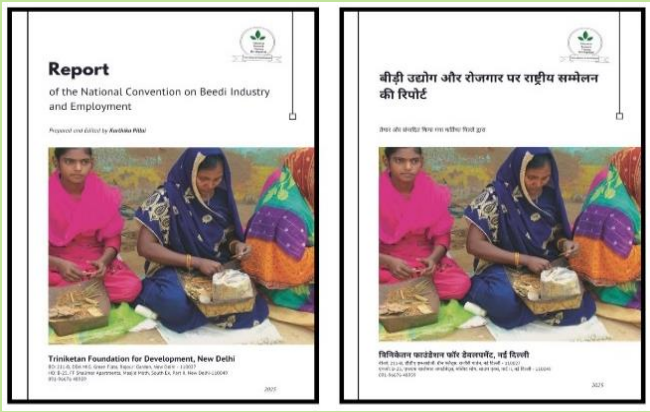

- कैसे संपर्क करें -

011-96676 48959
triniketanfoundation2018@gmail.com
www.triniketanfoundation.org

TRINIKETAN FOUNDATION FOR

MID : 037213000071953 TID : 13771917

ME Helpdesk: 18602332332 / 022-40426060

The details of our bank accounts are as under:

Axis Bank Ltd, R.K. Puram Branch, Munirka, New Delhi-110067,
Savings Bank Account No. 923010000628304,
IFS Code UTIB0003532